



# नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: [deangmckhandwa@gmail.com](mailto:deangmckhandwa@gmail.com), Website: [www.gmckhandwa.org](http://www.gmckhandwa.org)

क्रमांक/5496 /स्थापना भर्ती /2025

खण्डवा, दिनांक:- 01/07/2025

//सूचना पत्र//

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित समूह-5 के अंतर्गत स्टॉफ नर्स व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2024 में महाविद्यालय के विज्ञापित पदों की प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को दिनांक: 04/07/2025 को मूलतः दस्तावेजों के सत्यापन हेतु नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा में सुबह 11:00 बजे आवश्यक मूलतः दस्तावेजों एवं एक सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित आमंत्रित किया जाता है-

| स.क्र. | अभ्यर्थी का नाम           | आवेदन क्र.    | पदनाम         | जन्म दिनांक | श्रेणी  |
|--------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| 1      | श्री मोतीलाल पटेल         | 7411250229686 | लैब अटेन्डेंट | 01.01.1979  | OBC-S-O |
| 2      | श्री राजेन्द्र कुमार जाटव | 7403250315429 |               | 02.08.1990  | SC-SK-O |
| 3      | श्री राधेश्याम गोलकर      | 7406250257400 |               | 03.09.1989  | ST-SK-O |

1. आवेदन की प्रति।
2. प्रवेश पत्र की प्रति।
3. परीक्षा परिणाम की प्रति।
4. कक्षा दसवीं अंकसूची की प्रति।
5. कक्षा बारहवीं संबंधित अंकसूची की प्रति।(यदि लागू हो तो)
6. डिजिटल जाति प्रमाण पत्र की प्रति।
7. डिजिटल मूल-निवासी प्रमाण पत्र की प्रति।
8. भूतपूर्व सैनिक हेतु तत्संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति।(यदि लागू हो तो)।
9. यदि बोनस अंक प्राप्त हो तो तत्संबंधी प्रति।(यदि लागू हो तो)।
10. संविदा कर्मचारी होने के संबंध में नियोक्ता द्वारा जारी अनुमति एवं अनापत्ति एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति।(यदि हो तो)।
11. यदि आयु में लाभ लिया गया है, तो तत्संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति।(यदि लागू हो तो)
12. यदि विवाहित हो, तो विवाह संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति/शपथपत्र एवं जीवित संतान का प्रमाण पत्र की प्रति/शपथपत्र।
13. पहचान प्रमाण पत्र।
14. म.प्र. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन।
15. अन्य दस्तावेज जो लागू हो।

नोट:-

1. दस्तावेज सत्यापन में आने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
2. दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाये जाने पर ही चयन की आगामी कार्यवाही की जावेगी अतएव अभ्यर्थी इसे चयन का आधार न मानें।

(डॉ. संजय कुमार दादु)

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.महा.खण्डवा